

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 106/2022(2022/ )

1. रमेशचन्द पुत्र श्री छीतर जाति ब्राह्मण निवासी सांकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

◆ वनाम ◆

1. श्री रामपाल पुत्र श्री गजानन्द शर्मा।
2. श्री बच्चराज गुर्जर पुत्र श्री जगदीश गुर्जर।
3. श्री दुर्गाशंकर पुत्र श्री बम्हदत्त शर्मा।
4. श्री भवर गुर्जर पुत्र श्री काना गुर्जर।
5. श्री भुवाना पुत्र श्री उगमा जाति गुर्जर निवासीगण सांकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री हनुमान प्रसाद शर्मा।

पैराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश


दिनांक 21.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम सांकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबन्दी संवत् 2072-75 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:-

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
498-480	1832	0.93	वारानी 1
	किता 1	रकबा 0.93	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थी ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चली आ रही हैं। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चली आ रही हैं। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 पडोसी है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। सीमा चिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान पत्थरगढी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी नहीं करवाई गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा एवं अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 5 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 5 ने कहा कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढी के आदेश लेकर आओ अतः प्रार्थना पत्र के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।


प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 द्वारा जवाब में पत्थरगढी किये जाने में कोई

  
उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (अजमेर)

आपत्ति नहीं होना बताया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कर संलग्न जमाबंदी अनुसार भूमि खातेदी में दर्ज है राजहित प्रभावित नहीं होना बताया। पक्षकारान की वहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की वहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः पाथी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भूरा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम सांकरिया तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत् 2072-75 के खाता संख्या नया पुराना 498-480 के खसरा संख्या 1832 रकबा 0.93 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(निकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (अजमेर)

